न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 95/2024

निर्णय दिनांक 13.08.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2024/198

1. भगवती पत्नि जगदीश 2. कमलेश बउम्र 9 वर्ष 3. प्रगति बउम्र 7 वर्ष 4. रेखा बउम्र 5 वर्ष पुत्र/पुत्रिया जगदीश नाबालिक जरिये संरक्षक माता भगवती देवी जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. जगदीश पुत्र नथाराम 2. भरत पुत्र नथाराम 3. जेठीदेवी पत्नि नथाराम 4. संजू पुत्री नथाराम 5. मांगीलाल पुत्र भोमाराम 6. शान्तिदेवी पत्नि बद्रीराम 7. देवीलाल 8. मुन्नीराम 9. उर्मिला 10. कान्ता 11. बसन्ती 12. भंवरी 13. सुन्दर 14. सरला पुत्र/पुत्रिया बद्रीराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ 16. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय सूडसर/श्रीडूंगरगढ ।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री के के पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 ता 14 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके विरास्तन के खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 तादादी 5.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 तादादी 7.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 तादादी 21.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 8.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 तादादी 22.1700 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है । वादगत खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 तादादी 5.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 तादादी 7.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 तादादी 21.2000 हैक्टेयर में से 1/8 हिस्सा, खसरा नम्बर 18 तादादी 8.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 तादादी 22.1700 हैक्टेयर में से 3/8 हिस्सा पर कब्जा—काश्त व उपयोग—उपभोग प्रार्थीगण का लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर 158 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 तादादी 5.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 तादादी 7.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 तादादी 21.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 8.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 तादादी 22.1700 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 10:09:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा — काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है । तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से दिनांक 14.05.2024 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 14.05.2024 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और प्रार्थीगण को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत खेतों में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे । वादगत खेतों में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी के होने व अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14.05.2024 की इनकारी से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक प्रार्थीगण का विरास्तन एवं कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है । अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेत में आये हुए प्रार्थीगण के हक से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक :— 14.05.2024 को धमकी दी और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे । और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब प्रार्थीगण ने दिनाँक 14.05.2024 को ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ऐसा करने से साफ ईन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व पूरे खेत को विक्रय कर देगे इसलिए प्रार्थीगण को दिनाँक 14.05. 2024 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का कॉज ऑफ एक्शन उत्पन हो गया है। प्रार्थीगण का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन प्रार्थीगण को दिनाँक 14.05.2024 प्राप्त हो गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। प्रार्थीगण को वादगत खेतों की कृषि भूमि से [illegible] करने पर आमदा हो रहे है। प्रार्थीगण को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा काश्त पिछले 12—13 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थीगण के खेतों विक्रय कर दिया तो प्रार्थीगण को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 10:39:51 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थीगण उक्त खेतां को शुरू से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 14.05.2024 को प्रार्थीगण को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नहीं करने तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सख्या 1 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण 1 ता 4 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में प्रार्थीगण निषेधाज्ञा के अनुतोष का अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त से इनकार कर रहे है प्रार्थीगण को वादगत खेतों से बेदखल करने पर आमन्दा हो रहे है तथा प्रार्थीगण का कब्जा छुड़ाने की धमकिया दे रहे है इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण वादगत खेतों की भूमि का रकबा विक्रय, हस्तान्तरण करने की फिराक व कोशिश में है। अगर अप्रार्थीगण अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपने हक से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्ट्या विरास्तन पारिवारिक विभाजन व कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है व प्रार्थीगण को उसके हिस्से में प्रार्थीगण का जायज हिस्सा हड्प करने की धमकिया दे रहे है, अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादगत खेतों से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला अहम नुकशान होगा, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्धात भी प्रार्थीगण पक्ष में है। प्रार्थीगण को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 158 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 तादादी 5.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 तादादी 7.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 तादादी 21. 2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 8.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 तादादी 22.1700 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में प्रवेश न करे किसी प्रकार का हस्तांतरण, बेय, मुत्तकिल की कार्यवाही नहीं करें जिससे कि प्रार्थीगण के हक–अधिकारों पर कुठाराघात होता हो तथा ऐसा कोई कृ त्य या अकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के हक पर विपरीत असर पड़ता हो तथा दावे के निस्तारण तक वादगत रकबा की गिरदावरी एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थीनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 14 जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थिनी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए अपनी बहस में कथन किया कि खेत खाता संख्या नया 279 खसरा नम्बर 158 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, 228 तादादी 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 तांदादी 5.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 तादादी 7.5100 खसरा नम्बर 238 तादादी 0.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 तादादी 21.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 41.5600 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/18 हिस्सा अवस्थित है तथा खाता संख्या 83 खसरा नम्बर 18 तादादी 8.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 तादादी 22.1700 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 30.8200 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अवस्थित है, अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में प्रार्थी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 पुत्र/पुत्री है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र/पुत्रीयों से असीम स्नेह व प्रेम रखता है, प्रार्थी संख्या 1 अपने पिता के बहकावे में आ चुकी है, आये दिन बिना कारण लड़ाई झगड़ा करती रहती है अप्रार्थी संख्या 1 ने कई बार वादगत भूमि में प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में खाता संख्या 279 में से कुल 1/24 हिस्सा व खाता संख्या 83 कुल 1/8 हिस्सा जरिये उपहार पत्र देने का भी निवेदन किया लेकिन प्रार्थी संख्या 1 अपनी हठधर्मिता के चलते उक्त दावा पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को कृषि भूमि खुर्द–बुर्द करने की धमकी नही दी है, अप्रार्थीगण की समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 1 की है, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। वादगत कृषि भूमि में पैतृकता के आधार पर खाता संख्या 279 में प्रार्थी संख्या 2 ता 4 का कुल 1/24 हिस्सा व खाता संख्या 83 में कुल 1/8 हिस्सा बनता है, जो अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में जरिये उपहार हस्तानान्तरण करने के लिए रजामंद है।

अप्रार्थीगण 2 ता 14 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि खेत खाता संख्या नया 279 खसरा नम्बर 158 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 तादादी 0.6800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 232 तादादी 5.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 तादादी 7.5100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 238 तादादी 0.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 तादादी 21.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 41.5600 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/18 हिस्सा अवस्थित है तथा खाता संख्या नया 83 खसरा नम्बर 18 तादादी 8.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 तादादी 22.1700

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 30.8200 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अवस्थित है, प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 2 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार का हित नही है ऐसी स्थिती में अप्रार्थी संख्या 2 ता 14 की कृषि भूमि के विभाजन के मांग के अलावा प्रार्थीगण अन्य किसी प्रकार की मांग करने के अधिकारी नही है । प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 की आपसी पति पत्नी की लड़ाई व मनमुटाव के चलते अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता के बहकावे में आकर उक्त दावा प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 14 ने कभी भी विभाजन हेतू इंनकार नही किया है। एवं प्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 के हिस्सा भूमि पर जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त माननीय सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 3408 ऑफ 2018 पृष्ठ संख्या 1 से 8 पेश किये गये।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। खेत खाता संख्या नया 279 खसरा नम्बर 158 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 तादादी 0.6800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 232 तादादी 5.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 तादादी 7.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 तादादी 0.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 तादादी 21.2000 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 41.5600 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/18 हिस्सा अवस्थित है तथा खाता संख्या नया 83 खसरा नम्बर 18 तादादी 8.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 तादादी 22.1700 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 30.8200 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अवस्थित है, प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 2 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार का हित नही है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 विभाजन हेतु तैयार है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 की हिस्सा भूमि को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 की हद तक तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.04 10:59:51 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)